को प्रा. पत्र जरिये अधि० पेश की गयी जो आज के लिये स्वीकार की गयी। अभियोजन साक्ष्य में गवाह PW 9- किशोर कुमार, PW-10 श्री नरेन्द्र मीणा के बयान जरिये VC लिये गये। VC point DJ court भालावाड़ है। अन्य कोई गवाह उपा० नहीं हैं अभियोजन अधिकारी ने गवाह स. 4 को तर्क किया। गवाह स. 10 कैलाश को न्यायालय जरिये B/W व A/W से तलब कर रखे हैं लेकिन गवाह उपा० नहीं कर रखे हैं तब गवाह के उपा० नहीं होने के कारण अभियुक्त के Speedy trial को तरक ले रखा है। गवाह स- 10 को अभियोजन अधिकारी अपने स्तर पर पेश करने का प्रयास करें। पत्रावली वास्ते PLE हेतु दिनांक 1/5/2026 को पेश हो।

28/4/2026

विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.01
केकड़ी (अजमेर)

1/5/2026

Addl. PP. उपा०

अभियुक्त क्रिश्चन अनुपा० निवासी दांडी काली का प्रा. पत्र जरिये अधि० पेश की गयी जो आज के लिये स्वीकार की जाती है। अभियोजन साक्ष्य में गवाह PW-11 कैलाश के बयान लिये गये। अन्य कोई गवाह उपा० नहीं है। अभियोजन अधिकारी ने गवाह न.4 को तर्क किया गवाह न-4 की तलबी बंद की जाती है। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुई। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम u/s 313 CrPC / s. 351 BNSS हेतु दिनांक 8/5/2026 को पेश हो।

1/5/2026

विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.कैसेज एवं
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं.01
केकड़ी (अजमेर)